2022 का विधेयक संख्यांक 125

[दि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2022 का हिन्दी रूपान्तर]

श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य

का

मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

(*2*) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

धारा 2 का संशोधन।

1994 का 10

2. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (एतद्पश्चात मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 2 की उपधारा (*1*) में—

(क) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ङक) "जांच" से आयोग द्वारा अथवा संबंधित सरकार के किसी अधिकारी या जांच एजेंसी के माध्यम से धारा 13, 14, 16, 17 और 18 के अधीन मानव अधिकार अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों की जांच अभिप्रेत है; ";और

(ख) खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(डक) "सिफारिश" से, आयोग द्वारा संबंधित सरकार, प्राधिकरण या व्यक्ति को जारी आदेश या निदेश अभिप्रेत है ; तथा

"(डख) "हानिपूर्ति" से, मानव अधिकार अतिक्रमण के पीड़ितों को धारा 18 के खंड (गक) के अंतर्गत उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित और परिमाणित प्रदत्त प्रतिकर और पुनर्वास अभिप्रेत है;"।

धारा 15 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 15 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा दिए गए कथन।

"15. आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई भी कथन उसे किसी सिविल या दांडिक कार्यवाहियों के अधीन करेगा या उसके विरुद्ध प्रयुक्त किया जाएगा :

परन्तु यह तब जबकि ऐसा कथन—

(क) ऐसे प्रश्न के उत्तर में दिया जाता है जिसका उत्तर देने के लिए उससे आयोग द्वारा अपेक्षा की जाए; या

(ख) जांच की विषयवस्तु से सुसंगत है; और

आयोग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और कथनों का साक्ष्यिक मूल्य।

15क. मानव अधिकार अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों की जांच के दौरान धारा 12,13,14,15,16,17 और 18 के अधीन एकत्र किए गए साक्ष्यों और आयोग के समक्ष किए गए कथनों का साक्ष्यिक मूल्य होगा और उसे न्यायालयों में सिविल या दांडिक कार्यवाहियों, जैसा भी मामला हो, में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा।"।

धारा 18 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 18 में,—

(क) खंड (क) में, उप-खंड (i) में " प्रतिकर या नुकसानी " शब्दों के स्थान पर, "हानिपूर्ति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ख) जहां जांच से किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों का अतिक्रमण या मानव अधिकारों के अतिक्रमण के निवारण में उपेक्षा या तत्संबंधी उत्प्रेरण प्रकट होता है, आयोग संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों मे जाकर क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अधीन उनके रिट क्षेत्राधिकार का अवलंब लेते हुए अभियोजन की कार्यवाही शुरू कर सकेगा; तथा

(ग) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा,अर्थात्:—

"(गक) अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार विधियों के घोर उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी विधि, 2005 के गंभीर उल्लंघन के पीड़ितों के लिए उपचार और हानिपूर्ति के अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र मूलभूत सिद्धांत एवं दिशानिर्देश आधारित मानव अधिकार अतिक्रमण के पीड़ितों को संदाय की जाने वाली हानिपूर्ति की मात्रा निर्धारित करना जो उल्लंघन की गंभीरता और हानि के अनुपात में होगा, में शामिल हैं -

(क) अतिक्रमण की गंभीरता और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के समुपयुक्त और आनुपातिक कतिपय आर्थिक रूप से निर्धारणीय हानि के लिए प्रतिकर प्रदान किया जाए, जिसमें शामिल हैं,—

(i) शारीरिक या मानसिक हानि;

(ii) खोए अवसर, जिनमें रोजगार, शिक्षा और सामाजिक हितलाभ शामिल हैं;

(iii) उपार्जन संभावना की क्षति सहित भौतिक क्षति और उपार्जन हानि;

(iv) नैतिक क्षति;

(v) विधिक या विशेषज्ञ सहायता, दवा और चिकित्सा सेवाओं, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सेवाओं संबंधी अपेक्षित लागत; तथा

(ख) चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक, विधिक और सामाजिक सेवाओं सहित पुनर्वास।"

5. मूल अधिनियम की धारा 18 के पश्चात, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 18क का अंतःस्थापन।

18क. (*1*) केंद्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में होने वाले मानव अधिकारों के अतिक्रमण और संबंधित पीड़ितों को धारा 18 के खंड (गक) के तहत निर्धारित हानिपूर्ति के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगी। राज्य की जवाबदेही और दायित्व।

(*2*) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें उप-धारा (1) के अधीन पीड़ितों को भुगतान की गई हानिपूर्ति की वसूली उस रीति से, जैसे की विहित की जाए, संबंधित सरकार के अधिकारियों, जो मानव अधिकार अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार पाए गए थे, से कर सकेंगी।"

6. मूल अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) में, "कर सकेगी" शब्द के स्थान पर "करेगी" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा। धारा 21 का संशोधन।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

5 फरवरी 2021 को अब्दुल सथर बनाम प्रधान सचिव (तमिलनाडु राज्य सरकार) में मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ ने यह निर्णय दिया कि राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के अधीन की गई सिफारिशें सरकार या सरकारी प्राधिकरण पर बाध्यकारी हैं। न्यायपीठ ने कहा कि एसएचआरसी की सिफारिशें न्यायिक आदेश हैं जो कानूनी तौर पर और तुरंत प्रवर्तनीय हैं। न्यायपीठ ने संसद को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में आवश्यक संशोधन करने की भी सिफारिश की, ताकि आयोगों को उनकी सिफारिशों को सीधे निष्पादित करने का अधिकार दिया जा सके।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 13 राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मानव अधिकार आयोगों को मानव अधिकार अतिक्रमण की जांच के दौरान दीवानी न्यायालय के रूप में काम करने की शक्तियां प्रदान करती है। इस प्रकार, मानव अधिकार आयोगों के समक्ष की जाने वाली सभी कार्यवाही अधिनियम की धारा 13 के तहत न्यायिक कार्यवाही मानी जाती है। किन्तु जब आयोग अपनी जांच पूरी कर लेता है और मानव अधिकार के अतिक्रमण को प्रकाश में लाया जाता है, तो आयोग के पास मानव अधिकार के अतिक्रमण के मामलों में मुकदमा चलाने की दंडात्मक शक्तियाँ निहित नहीं होती हैं। अधिनियम की धारा 18 में मानव अधिकार आयोग को संबंधित सरकार या प्राधिकरण को ऐसे मानव अधिकार अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करने की केवल सिफारिश करने का प्रावधान है। परिणामस्वरूप, आयोग ऐसे लोगों और संगठनों को उनके मानव अधिकार के अतिक्रमण के लिए जवाबदेह ठहराने में असमर्थ हो जाता है।

वर्षों से विभिन्न निर्णयों में, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने यह खेद व्यक्त किया है कि राष्ट्रीय और राज्य मानव अधिकार आयोग शक्तिहीन एवं प्रभावहीन बनकर रह गए हैं। भारतीय न्यायपालिका ने यह पाया है कि इस कानून के निर्माताओं का मूल उद्देश्य मानव अधिकारों की रक्षा और मानव अधिकारों को बढ़ावा देना था, इसलिए आयोग की सिफारिशें लागू करने योग्य एवं बाध्यकारी हैं और उन्हें लागू किया जाना चाहिए। यह माना गया कि आयोग द्वारा की गई 'सिफारिश' को मात्र उसकी राय या सुझाव मानना मानव अधिकार अधिनियम के वैधानिक उद्देश्य को अर्थहीन बना देगा। कानून में इस कमी को स्वीकार करते हुए और नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता को देखते हुए, उक्त विधेयक का आशय उस आदेश या निर्देशों की सिफारिश में संशोधन करना है जो इसे प्राप्त करने वाले प्राधिकरण या सरकार के लिए बाध्यकारी होगा।

वर्तमान अधिनियम मानव अधिकार अतिक्रमण के पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे का निर्धारण करते समय अपनाए जाने वाले मानकों पर मौन है। इस प्रकार मुआवजे और क्षति की मात्रा का निर्धारण कैसे किया जाएगा, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 18 (क) में संबंधित सरकार या प्राधिकरण को केवल मुआवजे की सिफारिश किये जाने का उपबंध है।

आवश्यकता इस बात की है कि क्षतिपूर्ति के निर्धारण और हुई क्षति के आकलन के लिए सिद्धांत प्रतिपादित कर इस अंतर को मिटाया जाए। केंद्र और राज्य सरकारों को उनके अधिकार क्षेत्र में होने वाले किसी भी मानव अधिकार उल्लंघन के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी ठहराते हुए मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को अनिवार्य राहत प्रदान करना भी आवश्यक है।

जब 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लाया गया था, तो उक्त विधि का उद्देश्य न्याय प्रशासन प्रणाली में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता लाना और मानव अधिकार संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए कुशल और प्रभावी तरीके आविष्कृत करना था। लेकिन लोगों और अधिकारियों को मानव अधिकारों के अतिक्रमण या उत्प्रेरण के लिए जवाबदेह ठहराने में विफल रहने के कारण, अधिनियम अपने वर्तमान स्वरूप में इस उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;
1 *जुलाई*, 2022

सुप्रिया सुले

उपाबंध

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में से उद्धरण

* * * * * *

2. (*1*) * * * * * * परिभाषाएं।

(क) * * * * * *

(ङ) "मानव अधिकार न्यायालय" से धारा 30 के अधीन विनिर्दिष्ट मानव अधिकार न्यायालय अभिप्रेत है;

* * * * * *

(ड) "लोक सेवक" का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 में है;

* * * * * *

15. आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन, ऐसे कथन द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन के सिवाय, उसे किसी सिविल या दांडिक कार्यवाही के अधीन नहीं करेगा या उसमें उसके विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जाएगा : आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन।

परन्तु यह तब, जब कि ऐसा कथन—

(क) ऐसे प्रश्न के उत्तर में किया जाता है जिसका उत्तर देने के लिए उससे आयोग द्वारा अपेक्षा की जाए; या

(ख) जांच की विषय-वस्तु से सुसंगत है।

* * * * * *

18. आयोग, इस अधिनियम के अधीन की गई किसी जांच के दौरान और उसके पूरा होने पर निम्नलिखित कार्रवाई कर सकेगा, अर्थात् :— जांच के दौरान और जांच के पश्चात् कार्रवाई।

(क) जहां जांच से किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों का अतिक्रमण या मानव अधिकारों के अतिक्रमण के निवारण में उपेक्षा या मानव अधिकारों के अतिक्रमण का उत्प्रेरण प्रकट होता है, तो वहां वह संबंधित सरकार या प्राधिकारी को—

(i) शिकायतकर्ता या पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के सदस्यों को ऐसा प्रतिकर या नुकसानी का संदाय करने की सिफारिश कर सकेगा, जो आयोग आवश्यक समझे;

(ii) संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन के लिए कार्यवाहियां आरम्भ करने या कोई अन्य समुचित कार्रवाई करने के लिए, सिफारिश कर सकेगा, जो आयोग ठीक समझे;

(iii) ऐसी अन्य कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगा, जिसे वह ठीक समझे;

(ख) उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय को ऐसे निदेश, आदेश या रिट के लिए जो, वह न्यायालय आवश्यक समझे, अनुरोध करना;

(ग) जांच के किसी प्रक्रम पर सम्बद्ध सरकार या प्राधिकारी को पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के सदस्यों को ऐसी तत्काल अन्तरिम सहायता मंजूर करने की, जो आयोग आवश्यक समझे, सिफारिश करना;

(घ) खण्ड (ङ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जांच रिपोर्ट की प्रति अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराना;

(ङ) आयोग अपनी जांच रिपोर्ट की एक प्रति अपनी सिफारिशों सहित, संबंधित सरकार या प्राधिकारी को भेजेगा और संबंधित सरकार या प्राधिकारी, एक मास की अवधि के भीतर या ऐसे और समय के भीतर, जो आयोग अनुज्ञात करे, रिपोर्ट पर अपनी टीका-टिप्पणी आयोग को भेजेगा जिसके अन्तर्गत उस पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई है;

(च) आयोग, संबंधित सरकार या प्राधिकारी की टीका-टिप्पणी सहित, यदि कोई हो, अपनी जांच रिपोर्ट तथा आयोग की सिफारिशों पर संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को प्रकाशित करेगा।

* * * * * *

21. (*1*) कोई राज्य सरकार, इस अध्याय के अधीन राज्य आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए एक निकाय का गठन कर सकेगी जिसका नाम (राज्य का नाम) मानव अधिकार आयोग होगा। राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन।

* * * * * *

लोक सभा

———

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का और संशोधन
करने के लिए विधेयक

———

(श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य)